अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18 / 104

1. महावीर प्रसाद जैन आत्मज मदन लाल जैन जाति महाजन ।
2. अभिषेक जैन आत्मज ओम प्रकाश जैन जाति महाजन निवासीगण लाडपुरा बाजार कोटा।
3. भागचन्द जैन आत्मज बजरंग लाल जाति महाजन निवासी 1 न 13 टीचर्स कॉलोनी, केशवपुरा, कोटा ।
4. दौलत राम जैन आत्मज भैरूलाल जैन जाति महाजन ।
5. विमल कुमार जैन आत्मज भैरूलाल जैन जाति महाजन निवासीगण ग्राम कैथून बनासिया पाडा, कैथून जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती रामप्यारी बाई पुत्री पन्ना लाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. रामहेत आत्मज स्व0 शिवकरण जाति लश्करी ।
3. हीरालाल आत्मज स्व0 शिवकरण जाति लश्करी ।
4. जानकी लाल आत्मज स्व0 शिवकरण जाति लश्करी ।
5. गौरूलाल आत्मज शिवकरण जाति लश्करी ।
6. सुधीर कुमार आत्मज स्व0 किशवकरण जाति लश्करी निवासीगण ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. रामचन्द्र पुत्र पन्ना लाल जाति लश्करी निवासी रामचन्द्रपुरा छावनी कोटा ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

अपील संख्या : 18 / 140

1. रामहेत आत्मज स्व0 शिवकरण जाति लश्करी ।
2. हीरालाल आत्मज स्व0 शिवकरण जाति लश्करी ।
3. जानकी लाल आत्मज स्व0 शिवकरण जाति लश्करी ।
4. गौरूलाल आत्मज शिवकरण जाति लश्करी ।
5. सुधीर कुमार आत्मज स्व0 किशवकरण जाति लश्करी निवासीगण ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती रामप्यारी बाई पुत्री पन्ना लाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. रामचन्द्र पुत्र पन्ना लाल जाति लश्करी निवासी रामचन्द्रपुरा छावनी कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 228/दावा/2014

श्रीमती रामप्यारी बाई पुत्री पन्ना लाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. शिवकरण पुत्र पन्ना लाल जाति लश्करी निवीस ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   1/1. रामहेत आत्मज स्व0 शिवकरण जाति लश्करी ।
   1/2. हीरालाल आत्मज स्व0 शिवकरण जाति लश्करी ।
   1/3. जानकी लाल आत्मज स्व0 शिवकरण जाति लश्करी ।
   1/4. गौरूलाल आत्मज शिवकरण जाति लश्करी ।
2. रामचन्द्र पुत्र पन्ना लाल जाति लश्करी निवासी रामचन्द्रपुरा छावनी कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 16.01.2019 को बहाजरी अपील संख्या 18/104 में अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री तेजमल जैन एवं अपील संख्या 18/140 में अपीलान्ट की ओर से एवं अपील संख्या 18/104 में रेस्पोडेन्ट क्रम 2 से 4 की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम मीणा एवं दोनों अपीलों में रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री रविन्द्र खण्डेलवाल के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि दोनों अपीलों का निस्तारण बरूए राजीनामा किया जाता है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2017 निरस्त किया जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 16.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायमलय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

16/1/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/104

1. महावीर प्रसाद जैन आत्मज मदन लाल जैन जाति महाजन ।
2. अभिषेक जैन आत्मज ओम प्रकाश जैन जाति महाजन निवासीगण लाडपुरा बाजार कोटा।
3. भागचन्द जैन आत्मज बजरंग लाल जाति महाजन निवासी 1 न 13 टीचर्स कॉलोनी, केशवपुरा, कोटा ।
4. दौलत राम जैन आत्मज भैरूलाल जैन जाति महाजन ।
5. विमल कुमार जैन आत्मज भैरूलाल जैन जाति महाजन निवासीगण ग्राम कैथून बनासिया पाडा, कैथून जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती रामप्यारी बाई पुत्री पन्ना लाल जाति लश्करी- निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. रामहेत आत्मज स्व0 शिवकरण जाति लश्करी ।
3. हीरालाल आत्मज स्व0 शिवकरण जाति लश्करी ।
4. जानकी लाल आत्मज स्व0 शिवकरण जाति लश्करी ।
5. गौरूलाल आत्मज शिवकरण जाति लश्करी ।
6. सुधीर कुमार आत्मज स्व0 किशवकरण जाति लश्करी निवासीगण ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. रामचन्द्र पुत्र पन्ना लाल जाति लश्करी निवासी रामचन्द्रपुरा छावनी कोटा ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 18/140

1. रामहेत आत्मज स्व0 शिवकरण जाति लश्करी ।
2. हीरालाल आत्मज स्व0 शिवकरण जाति लश्करी ।
3. जानकी लाल आत्मज स्व0 शिवकरण जाति लश्करी ।
4. गौरूलाल आत्मज शिवकरण जाति लश्करी ।
5. सुधीर कुमार आत्मज स्व0 किशवकरण जाति लश्करी निवासीगण ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती रामप्यारी बाई पुत्री पन्ना लाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

2. रामचन्द्र पुत्र पन्ना लाल जाति लश्करी निवासी रामचन्द्रपुरा छावनी कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से अपील संख्या 18/104 में ।
2. श्री घनश्याम मीणा, अभिभाषक, अपील संख्या 18/140 में अपीलान्ट की ओर से एवं अपील संख्या 18/104 में रेस्पोडेन्ट कम 2 से 4 की ओर से ।
3. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में।

निर्णय

दिनांकः 16.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलों में समान पक्षकार होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग—अलग पत्रावली में संलग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 रामप्यारी ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पन्ना लाल जी की सम्पूर्ण कृषि भूमि पर पक्षकारान का 1/3—1/3 हिस्सा कानूनी तौर पर बनता है तथा पन्ना लाल जी के खाते में शामलाती तौर पर गत खसरा नम्बर 59, 60, 62, 119, 110, 146, 147 कुल 07 किता की 103 बीघा 10 बिस्वा भूमि पन्ना लाल जी व उनके पिता के भाई नाथूलाल के शामलाती खाते में दर्ज थी और उसके बाद सेटलमेंट में नये नम्बर बने गये । प्रतिवादी कम 1 व 2 ने फर्जी तौर पर पन्ना लाल की मृत्यु के बाद अपने नाम भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा ली । मृतक पन्ना लाल की सम्पूर्ण भूमि में वादिनी का 1/3 हिस्सा बनता है जिसे वादिनी लेने की अधिकारिणी है । आराजी ग्राम भीमपुरा पटवार हल्का धाकडखेडी भू—अभिलेख क्षेत्र कैथून है जिसे सुनने का अधिकार न्यायालय हाजा को है ।

4. अतः वादिनी को अपने मृतक पिता के हिस्से में दर्जशुदा जितनी भी भूमि है उसमें 1/3 हिस्सा दिलाया जावे और वादिनी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2017 के द्वारा वादिनी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1 मृतक शिवनारायण के कायममुकामान ने न्यायालय हाजा में अपील संख्या 18/140 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूर्व में भी वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध

में वाद संख्या 65 / 2013 प्रस्तुत किया था जिसमें रेस्पोडेन्ट कम 1 रामप्यारी ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 11.12.2013 को राजीनामा के आधार पर उक्त वाद को विड्रॉ कर खारिज करवा लिया । रामप्यारी द्वारा उन्हीं बिन्दुओं पर एक वाद उपखण्ड अधिकारी कोटा के समक्ष पेश कर दिया जो पश्चात्वर्ती वाद धारा 11 सीपीसी के तहत बाधित है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

7. अपील संख्या 18 / 104 में प्रार्थीगण के लायक अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण भूमि के बोनाफाइड परचेजर होने व कब्जेधारी व खातेदार दर्ज रिकॉर्ड होने के बावजूद उन्हे प्रकरण में जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय लोक अदालत में पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रार्थीगण अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं । अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

8. हमने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 का अवलोकन किया एंव उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी के बोनाफाइड परचेजर होना बताया है । अतः न्यायहित में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपीलान्ट ने अपील संख्या 18 / 104 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी में से 1.64 हैक्टर आराजी जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 6 से कय की है और उक्त बेचान के आधार पर वादग्रस्त आराजी अपीलान्टगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी निरस्त फरमाया जावे ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया था इसलिए उन्हें अपीलाधीन निर्णय एंव डिकी की समय पर जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी थी । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे।

11. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई ।

12. पक्षकारान द्वारा दिनांक 08.01.2019 को न्यायालय हाजा में लिखित राजीनामा पेश किया और उक्त राजीनामा अनुसार अपील का निस्तारण करने का निवेंदन किया ।

13. हमने पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत लिखित राजीनामा का अवलोकन किया । उक्त राजीनामा में अंकित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 822, 823, 824, 825 कुल 04 किता की 1.64 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 724, 725 की 0.50 हैक्टर आराजी में रेस्पोडेन्ट कम 1 का कोई भी हक हिस्सा निहित नहीं है और उक्त आराजी के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन डिकी को निरस्त करने में वादिनी को कोई आपत्ति नहीं है । खसरा नम्बर

822, 823, 824, 825 कुल 04 किता की 1.64 हैक्टर आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम 2 लगायत 6 द्वारा अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.06.2017 से बेचान की जा चुकी है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने पर अपीलान्ट उक्त आराजी को अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवा लेंगे जिसमें वादिनी रेस्पोडेन्ट को किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं करेगी । वादग्रस्त आराजी में वादिनी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का कोई भी हक हिस्सा निहित नहीं है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्ट से उक्त भूमि के सम्बन्ध में कभी भी कोई भी आपत्ति दावा व झगडा नहीं करेगी । अतः राजीनामे अनुसार प्रस्तुत अपील का निस्तारण करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त फरमया जावे।

14. अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का दावा बाबत् हक घोषणा एंव विभाजन डिक्री किया गया है जिसे पक्षकारान बरूए राजीनामा प्रथम अपील की स्टेज पर निरस्त करवाना चाहते हैं । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरआरटी 2011 (1) पेज 665 पर यह होल्ड किया गया है कि रिट याचिका के स्तर पर भी वाद वापस लिया जा सकता है ।

"राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88– ख़ातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद – बोर्ड ने द्वितीय अपील स्वीकार की और वाद डिक्री किया –राजीनामा हुआ और रेस्पोडेन्ट ने वाद वापस लेने की प्रार्थना की – आवेदन स्वीकार किया मूल वाद को वापस लेने की अनुमति दी।"

15. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि राजीनामे में अंकित तथ्यों के अनुसार रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने पूर्व में भी दावा संख्या 65/13 प्रस्तुत किया था जिसे दिनांक 28.10.2013 को राजीनामे के आधार पर विड्रो करवा लिया था । ऐसी स्थिति में उनका नया दावा मेन्टेनेबल भी नहीं था ।

16. इन तथ्यों के आधार पर दोनों अपीलों का निस्तारण बरूए राजीनामा किया जाता है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2017 निरस्त किया जाता है ।

17. निर्णय आज दिनांक 16.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/1/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा